मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

1912

समाचार

सौ रूपए का बिजली बिल देखकर खिल उठे चेहरे

87 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं को मिला इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ

जबलपुर, 17 अक्टूबर 2019,

मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी एवं लोकप्रिय योजना **इंदिरा गृह ज्योति योजना** ने बिजली उपभोक्ताओं के चेहरों पर मुस्कान ला दी है । सितंबर माह के बिजली बिलों को देखकर ऐसे बिजली उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट से कम रही तथा वे योजना का लाभ लेने में सफल रहे । ऐसे उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत पर 100 रूपए का बिजली बिल जारी किया गया । विदित हो कि म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 21 जिलों के 4416786 घरेलू उपभोक्ताओं की सितंबर माह में बिलिंग की गई जिसमें से 3843159 उपभोक्ताओं को पात्रता की श्रेणी में पाया गया जो कि कुल बिलिंग का 87 प्रतिशत है ।

उल्लेखनीय है कि 01 सितंबर 2019 से इंदिरा ग्रह ज्योति योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया गया है ।योजना में अब ऐसे सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक रहती है । सितंबर माह की रीडिंग के बाद जारी हुए बिलों में म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल संभागों में कुल 38,43,159 बिजली उपभोक्ताओं को योजना का लाभ प्रदान किया गया है जिसमें जबलपुर रीजन में 17,33,463, सागर रीजन में 9,89,315, रीवा रीजन में 7,97,620 एवं शहडोल रीजन में 3,22,761 उपभोक्ता लाभान्वित हुए।

योजना के तहत 100 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली की खपत होने पर रू.100/– का ही बिल जारी किया जा रहा है । 100 से अधिक एवं 150 यूनिट तक प्रतिमाह खपत होने पर शेष 50 यूनिट का प्रचलित दरों के अनुसार ही बिल जारी किया जाता है। योजना में यह विशेष प्रावधान रखा गया है कि जिस माह में उपभोक्ता की मासिक खपत 150 यूनिट अथवा इससे कम होगी तो उसे योजना का लाभ दिया जाएगा ।

शहरी क्षेत्र		
बिजली की खपत	प्रचलित दरों पर देयक राशि	योजना में देयक राशि
100 यूनिट	रू. 628	रू. 100
150 यूनिट	रू. 917	रू. 389
ग्रामीण क्षेत्र		
100 यूनिट	रू. 608	रू. 100
150 यूनिट	रू. 897	रू. 389

समाचार कमांक :49

(के.पी.श्रीवास्तव)
जनसंपर्क अधिकारी